रजिस्ट्री सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

GPD

HRA A IJUA The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 20] No. 20] नई दिल्ली, अक्तूबर 9—अक्तूबर 15, 2005, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1927 NEW DELHL OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2005, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

का.नि.आ. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1998 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों जो कि इन नियमों की अनुसूची में वर्णित हैं के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति आयु-सीमा और अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,—

े (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

2956 GI/2005

(295)



जिस्टी सं॰ डी एल(एन)-04/0007/2003-05

REGD. NO. D L(N)-04/0007/2003-05

मिरत की रजिपत्र The Gazette of India

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

ti. 20] No. 20] नई दिल्ली, अक्तूबर 9—अक्तूबर 15, 2005, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1927 NEW DELHL OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2005, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II — खण्ड 4 PART II — Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

का.नि.आ. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1998 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागु होना : ये नियम स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों जो कि इन नियमों की अनुसूची में वर्णित हैं के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति आयु-सीमा और अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता : वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

2956 GI/2005

(295)

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद्	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. कार्यालय परिचर 'घ'	50*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
·					
गिधे भर्ती किए जाने यक्तियों के लिए अ		सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए अ शैक्षिक और अन्य अ	पेक्षित व्यक्तिय ईताएं और शै	तीं किए जाने वाले ों के लिए विहित आयु क्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत ों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	•	8		9	10
लागू नहीं हो	ता	लागू नहीं होता	5	नागू नहीं होता	लागू नहीं होता
····	·		·····		
रा या प्रतिनियुक्ति/ज	िसीधे होगी या प्रोन समावेशन द्वारा तथा वि ने वाले पदों की प्रतिश	भिन्न समावेशन वि	नेयुक्ति/समावेशन द्वा ज्या जाएगा	ा भर्ती की दशा में वे श्रेणि	मां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति
11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			12	
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति :			
·		ऐसे कार्यालय या स्थापना में	परिचर 'ख' जिन्होंने की हो।	उस श्रेणी में चार वर्ष की नि	यमित सेवा संबंधित प्रयोगशाल
•	· · ·	प्रान्तात काल किया जाएगा अर्हक/पात्रता उन्होंने अपने 1	ए विचार किया जा र परन्तु यह तब जब ति सेवा के आधे से अधित ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों	हा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व क उनके द्वारा की गई ऐस क से या दो वर्ष से, इनमें से सहित, जिन्होंने प्रेस अर्दव	क/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, गक्तियों के संबंध में भी विचार ो अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित जो भी कम हो, कम न हो और ज/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर 1 की अवधि सफलतापूर्वक पूरी

[भाग II—खण्ड 4]

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

प्रोज्नति समिति	0 20 00			14
पान्तात साम्राठ				· ·
	।, जिसमें निम्नलिखित	त हागः		लागू नहीं होता।
प्रयोगशाला का उ	प्रधान	—अध्यक्ष		
ग्योगशाला के दे	ो ण्येष्ठ अधिकारी	सदस्य		· .
		—सदस्य समतल्य		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2	3	4	5	6
(2005)	साधारण केन्द्रीय	2750-70-	चयन	अनुज्ञेय नहीं
जर्यभार के	सेवा, समुह 'ग'	3800-75-		•.
ार पर	अराजपत्रित,	4400 रुपए	,	
र्तन किया	(गैर-औद्योगिक)			
ाकता है।)	·		·	
	8		9	10
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12	······································
R	प्रोन्नति :			
			ग़ेंने उस श्रेणी में चार वर्ष ^र	की नियमित सेवा संबंधित प्रयोग
	जहां ऐसे क	निष्ठ व्यक्तियों के		
	प्रोन्नति के वि	लिए विचार किया	जा रहा हो वहां उनसे ज्ये	ोष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी वि
1.5		•		
•				
	उन्होंने अपने	ने ऐसे कनिष्ट व्य ि	क्तयों सहित, जिन्होंने ऐसे	। अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूर्र
			प्रोन्नति के लिए अपनी प	रिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वव
			•	• •
	·			<u></u>
				14
प्रोन्नति समिति	।, जिसमें निम्नलिखिल	त होंगे :	,	लागू नहीं होता।
प्रयोगशाला का !	प्रधान	—अध्यक्ष	•	· · ·
प्रयोगशाला के दे	ो ज्येष्ठ अधिकारी	सदस्य		
	-	सदस्य		
त्व प्रतीसम्बद्धाः प	त प्रभावित के पार्टाओं है			
	प्रयोगशाला के द ला या स्थापना य त प्रयोगशाला या कित का हो 2 (2005) कार्यभार के गर पर वर्तन किया नकता है।) प्रोन्नति समिति प्रयोगशाला का प्र प्रयोगशाला क द ला या स्थापना य	प्रयोगशाला के दो ण्पेष्ठ अधिकारी ला या स्थापना या सुख्यालय से एक त प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के विंत का हो 2 3 (2005) साधारण केन्द्रीय कार्यभार के सेवा. समूह 'ग' तर्रात्र किया (गैर-औद्योगिक) कतता है।) 8 लागू नहीं होता 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	प्रयोगशाला के दो ण्पेण्ठ अधिकारीसदस्य ता या स्थापना या मुख्यालय से एकसदस्य त प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य किंत का हो 2 3 4 (2005) साधारण केन्द्रीय 2750-70- र्फार्यभार के सेवा. राम्ग्रह 'ग' 3800-75- गार पर अराजपत्रित, 4400 रुपए वर्तन किया (गैर-औद्योगिक) सकता है।) 8 लागू नहीं होता प्रोन्नति : ऐसे प्रसाधन परिचर 'ख' जिन्द या स्थापना में की हो। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के प्रोन्नति के लिए विचार किया किया जाएगा परन्तु यह तब प् अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के त्रा है ।)	प्रयोगशाला के दो ष्णेष्ठ अधिकारी —सदस्य ता या स्थापना या मुख्यालय से एक —सदस्य त प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य वित का हो 2 3 4 5 (2005) साधारण केन्द्रीय 2750-70- चयन कार्यभार के सेवा. सगह. 'ग' 3800-75- ार पर अराजपत्रित, 4400 रुपए स्रतंन किया (गैर-औद्योगिक) तकता है।) 8 9 ताग्रू नहीं होता लाग्रू नहीं होता 12 प्रोन्नति : ऐसे प्रसाधन परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष या स्थापना में की हो। उहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अप- प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्य किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की ग अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इ उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे त्यी रे, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी प कर ली हो। प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : प्रयोगशाला का प्रधान — अध्यक्ष प्रयोगशाला का प्रधान — अध्यक्ष प्रयोगशाला के दो ण्येष्ठ अधिकारी —सदस्य ला या स्थापना या मुख्यालय से एक —सदस्य

.

298	THE GAZETI	TE OF INDIA : OCI	OBER 15,200	5/ASVINA 23 1027	· _
1	2	3	4		[Part]]
3. उद्यान परिचर 'घ'	5* (2005) *(कार्यभार के आधार पर	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित,	4 2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	<u>5</u> चयन	6 अनुज्ञेय नहीं
	परिवर्तन किया जा सकता है।)	(गैर-औद्योगिक)			
7		8			
लागू नहीं होता	· · ·	रतागू नहीं होता		9	10
······································		CILT IGI GIAI		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11					
प्रोन्नति द्वारा	- :	12 प्रोन्नति :	·		
		ऐसे उद्यान परिस स्थापना में की 1	वर'ख'जिन्होंने उर हो।	स श्रेणी में चार वर्ष की f	नेयमित सेवा संबंधित प्रयोगर
		किया जाएगा प	रना यह तल जन्म (रेल ला पहा उनस ज्याद्य किन्त्र कर्मने कर्मन	अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ठ व्यक्तियों के संबंध में भी ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अ
		उन्होंने अपने ऐस	मे कनिष्ट व्यक्तिगों	गमा भाषा पत्र स, इनम् सिन्द िन्देरे २२२	ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अ 'से जो भी कम हो, कम न ह !ईक/पावता सेवा पहले ही पू गीक्षा की अवधि सफलतापूर्व
		119 117 200			
	3				
ते के लिए विभागीर संसंधित राज्यालय स	। प्रोन्नति समिति, नि	जसमें निम्नलिखित होंगे			14 रूहीं होता।
संबंधित स्थापना या	प्रयोगशाला का प्रधान प्रयोगशाला के दो ज्ये	येष्ठ अधिकारी 🛛 🗕	−अध्यक्ष −सदस्य	· •	
किसी अन्य प्रयोगशां	ला या स्थापना या मुर रत प्रयोगशाला या स्थ	ख्यालय से एक	-सदस्य	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
समतुल्य या उनसे ऊ	ग की पंक्ति का हो।	N			

.

- - - - - - - - - - - -

परिचर 'घ'	20*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधार ण केन्द्रीय सेवा, स म्रूह ' ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं	-
			- Alexandria			
7		8			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		9	10	
		CILT 161 EIUI		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

[भाग II—खण्ड 4] भारत का राजगत्र : अक्तूबर 15, 2005/आश्चिन 23, 1927 299 11 12 प्रोन्नति : प्रोन्नति द्वारा ऐसे सुरक्षा परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा परी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ण्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 13 14 ग्रोन्तति के लिए विभागीय प्रोन्तति समिति, जिसमें निम्तलिखित होंगे :--लागू नहीं होता। संबंधित स्थापना या प्रयोगशालां का प्रधान 1. —अध्यक्ष संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी 2. -सदस्य किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक 3. --सदस्य अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। 2 ĩ З 4 5 ō 5. कार्यालय 360* (2005) साधारण केन्द्रीय अनुज्ञेय नहीं 2610-60-चयन परिचर 'ख' *कार्यभार के सेवा, समूह 'घ' 2910-65-अराजपत्रित, आधार पर 3300-70-परिवर्तन किया (गैर-औद्योगिक) 4000 रुपए जा सकता है। 7 8 9 10 लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता . 11 12 प्रोन्नति द्वारा प्रोज्नति : ऐसे कार्यालय परिचर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अईक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,

प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

2956 9705-2

300	THE GAZ	ETTE OF INDIA :	OCTOBER 15, 20	005/ASVINA 23, 1	927 Dec
प्रोन्नति के लि 1. संबंधित	ए विभागीय प्रोन्नति स् स्थापना या प्रयोगशाला	गमिति, जिसमें किन्त	नखित होंगे :		<u>14</u>
 संबंधित किसी अ अधिकारी 	स्थापना या प्रयोगशाला न्य प्रयोगशाला या स्थाप , जो संबंधित प्रयोगशाल य या उनसे ऊपर की पॉ	का प्रधान के दो ज्येष्ठ अधिकारी ना या मुख्यालय से एक	—अध्यक्ष —सदस्य		लागू नहीं होता।
1 नसाधन	. 2	3	4		
सायन रिचर 'ख'	196*(2005)	साधारण केन्द्रीय		5	6
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
			·		
7					

्र लागू नहा होता	लागू नहीं होता	9	10
11		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :	12	
	रेसे प्रसाधन परिचर 'क'		

उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी

÷.,

ोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखि 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगणा	त होंगे	14
· संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के जे को	—अध्यक्ष	लागू नहीं होता।
निर्णा अन्य परागित्वान्त्र	सदस्य	
अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या मुख्यालय से एक के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंचित्र करने	—सदस्य	
के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो।		

1.

·

]	भारत का राजपत्र : अक्तू			۷.	
1	• 2	3	4	5	6 	
उद्यान	91*(2005)	साधारण केन्द्रीय	2610-60-	ंचयन	अनुज्ञेय नहीं	
परिचर 'ख'	*कार्यभार के	सेवा, समूह 'घ'	2910-65-			
·	आधार पर	अराजपत्रित,	3300-70-			
	परिवर्तन किया जा सकता है।	(गैर-औद्योगिक)	4000 रुपए			
	जा सकता हा			······		
7		8	<u></u>	9	10	
लागू नहीं हो	ता .	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
~		· · ·		- <u></u>		
				12		
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नतिः			······································	•••
		ऐसे उद्यान प स्थापना में ब		। उस श्रेणी में चार वर्ष क	ी नियमित सेवा संबंधित प्रयोग	ाशाल
	2	जहां ऐसे क	निष्ठ व्यक्तियों के	संबंध में, जिन्होंने अप	ानी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी व	हर ली
		प्रोन्नति के	लेए विचार किया	जा रहा हो वहां उनसे प	ष्पेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में '	મી વિ
		किया जाएंग	॥ परन्तु यह तब र	जब कि उनके द्वारा की	गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा,	अपे
		अर्हक/पात्रत	11 सेवा के आधे से	अधिक या दो वर्ष से,	इनमें से जो भी कम हो, कम	न हो
		उन्होंने अपन	ने ऐसे [.] कनिष्ठ व्यवि	क्तयों सहित, जिन्होंने ऐ	सी अईक/पात्रता सेवा पहले ह	ी पूरी
		ली है, अगल	नी उच्चतर श्रेणी में	प्रोन्नति के लिए अपनी	परिवीक्षा की अवधि सफलता	पूर्वक
		ली है, अगल कर ली हो।		प्रोन्नति के लिए अपनी	परिवीक्षा की अवधि सफलता	पूर्वक
				प्रोन्नति के लिए अपनी	परिवीक्षा की अवधि सफलता	पूर्वक
	13			प्रोन्नति के लिए अपनी	परिवीक्षा की अवधि सफलता 14	पूर्वक
ानति के लिए वि		कर ली हो।		प्रोन्नति के लिए अपनी 		पूर्वक
		कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि		प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
1. संबंधित स्थ	त्रभागीय प्रोन्नति समि	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान	त होंगे :	प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
1. संबंधित स्थ 2. संबंधित स्थ	वभागीय प्रोन्नति समि ि तपना या प्रयोगशाला का तपना या प्रयोगशाला के	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी	त होंगे : —अध्यक्ष —सदस्य	प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
1. संबंधित स्थ 2. संबंधित स्थ 3. किसी अन्य	वभागीय प्रोन्नति समि ापना या प्रयोगशाला का ापना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक	त होंगे : —अध्यक्ष	प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, 	वभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों	त होंगे : —अध्यक्ष —सदस्य	प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
1. संबंधित स्थ 2. संबंधित स्थ 3. किसी अन्य अधिकारी,	वभागीय प्रोन्नति समि ापना या प्रयोगशाला का ापना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों	त होंगे : —अध्यक्ष —सदस्य	प्रोन्नति के लिए अपनी	14	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, 	वभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों	त होंगे : —अध्यक्ष —सदस्य	प्रोन्नति के लिए अपनी	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 	त्रभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला : या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005)	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। <u>3</u> साधारण केन्द्रीय	त होंगे : अध्यक्ष सदस्य सदस्य 4 2610-60-		14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 	वभागीय प्रोन्नति समि ापना या प्रयोगशाला का ापना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला या उनसे ऊपर की पंवि	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि त्रि ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। 3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	त होंगे : अध्यक्ष सदस्य सदस्य 4 2610-60- 2910-65-	5	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 1 सुरक्षा 	वभागीय प्रोन्नति समि ापना या प्रयोगशाला का ापना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। <u>3</u> साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित,	त होंगे : 	5	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 1 सुरक्षा 	त्रभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला : या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि त्रि ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। 3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ'	त होंगे : 	5	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 1 सुरक्षा 	वभागीय प्रोन्नति समि ापना या प्रयोगशाला का ापना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। <u>3</u> साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित,	त होंगे : 	5	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 1 सुरक्षा 	त्रभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला : या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। 3 साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	त होंगे : 	5 चयन	14 लागू नहीं होता। 6 अनुज्ञेय नहीं	पूर्वक
 संबंधित स्थ संबंधित स्थ किसी अन्य अधिकारी, के समतुल्य 1 सुरक्षा 	त्रभागीय प्रोन्नति समि ।।पना या प्रयोगशाला का ।।पना या प्रयोगशाला के प्रयोगशाला या स्थापना जो संबंधित प्रयोगशाला : या उनसे ऊपर की पंवि 2 310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	कर ली हो। ति, जिसमें निम्नलिखि प्रधान दो ज्येष्ठ अधिकारी या मुख्यालय से एक या स्थापना के सदस्यों त का हो। <u>3</u> साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित,	त होंगे : 	5	14 लागू नहीं होता।	पूर्वक

•

[PART II----SEC. 4]

11				12		<u> </u>
प्रोन्नति द्वारा		प्रोन्नति :	, : , :			
		ऐसे कार्यालय	परिचर 'ख' जिन्हों	ने उस श्रेणी में चार वर्ष	की नियमित सेवा संबंधित प्र	योगशाल
•		या स्थापना में	की हो।			
		जहां गेमे करि	ाष्ठ व्यक्तियों के न	संबंध में. जिन्होंने अपन	नी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी व	कर ली है,
		चोन्तति के लि	ता विचार किया ज	जा रहा हो वहां उनसे ज्य	थेष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे	भा विचा
		किया जाएगा	परन्त यह तब ज	ब कि उनके द्वारा की र	गई ऐसी अहेक/पात्रता सेवा	।, अपाक्षत
		अर्हक/पात्रता	सेवा के आधे से उ	प्रधिक से या दो वर्ष से, इ	इनमें से जो भी कम हो, कम	। न हो आग
		उन्होंने अपने	ऐसे कनिष्ठ व्यकि	तयों सहित, जिन्होंने ऐस	ती अर्हक/पात्रता सेवा पहले क निजीवन की सम्हलन	हा पूरा क फर्बच पर्न
•			उच्चतर श्रेणी में उ	प्रान्नात क लिए अपनी र	परिवीक्षा की अवधि सफलत	। पूर्ण भू र
· · ·		• कर ली हो।		•	<u> </u>	·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	13			·	14	
प्रोनति के लिए विभा	गीय प्रोन्नति समिति	, जिसमें निम्नलिखित	होंगे :		लागू नहीं होता।	·
· ·	।। या प्रयोगशाला का प्र		—अध्यक्ष			
	2					
	ा या प्रयोगशाला के दो		सदस्य			
3. किसी अन्य प्रय	गेगशाला या स्थापना य	ा मुख्यालय से एक	सदस्य			
अधिकारी जो स	नंबंधित प्रयोगशाला या	। स्थापना के सदस्यों				
के समतुल्य या	उनसे ऊपर की पंक्ति	का हो।				<u> </u>
	··· .		·			
1	2	3		5		
9. कार्यालय	351*(2005)	साधारण केन्द्रीय	2550-55-	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं	•
परिचर 'ख'	*(कार्यभार के	सेवा, समूह 'घ'	2660-60-	•		
.*	आधार पर	अराजपत्रित,	3200 रुपए			
	परिवर्तन किया	(गैर-औद्योगिक)		•	•	5 (1. g. 1. f.) 1
	जा सकता है।)					
			·			
7		8		9	10	
 18 से 25 वर्ष		अनिवार्य :	•	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए	
केन्द्रीय सरकार द्वारा स	प्रमय-समय पर जारी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण			व्यक्तियों के लि	१ए दो वर्ष
आदेशों के अनुसार अ	भनुसूचित जाति,	वांछनीयः	>			
अनुसूचित जनजाति,		केन्द्रीय सरकार/राज्य स			• •	•
	••••	द्वारा मान्यता प्राप्त माध				,
आदि के लिए अधिक		विद्यालय प्रमाण पत्र (के अंतर्गत दस वीं कक्ष			•	
शिथिल की जा सकत		क अतगत दसव कि	11 0 (11 91) 1			
अवधारित करने के वि	•		•			
में निर्णायक तारीख, तारीख वह होगी जिस		•		· .	•	
तारीख वह होगी जिस कार्यालयों से नाम भे			•			
कायालया स नाम भ गया हो अथवा आवे		•			•	
नेया हा जयपा जाप के लिए विज्ञापन में र	•			: -		
अधिसूचित की गई ह		•				

भारत का राजगत्र : अक्तूबर 15, 2005/आश्विन 23, 1927

303

[भाग II---खण्ड 4]

	2005/01113 1 25, 1	. / 4 /		303		
		12				
की हो और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों या अंग्रेजी या हिन्दी या						
		14				
· िन्यायें निप्त्रलिरिवर	 ז בזנה		भ् य ेन्त्र ।	· · · ·		
		Curk iei	וחוש	н. 1		
		· .		ļ		
			en de la companya de	ļ		
यि से एक — सर - के सबस्यों	रस्य		an an Angelander An Angelander	*		
, के सदस्ता	,			ļ		
	······					
		·				
	······		6	<u> </u>		
	2550-55-	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं	Ē .		
· ·	3200 रुपए	•				
(गैर-औद्यांगिक)						
			· · ·	·		
8	Ģ		10			
अनिवार्य :	लाग् नहीं	होता	2 वर्ष			
पांचवी कक्षा उत्तीर्ण	n in the second s					
वांछनीयः						
आठवी कक्षा उत्तीर्ण						
			• •	1		
		11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	· .	•		
		- 1				
		<u>.</u>				
		·	•	ļ		
	•					
			• •	-		
•		•		•		
	-	12				
	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	लाग नहीं होता				
<u> </u>	•					
		. 14	•			
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<u> </u>	1	28 18 1			
		लागू नहा	हिता			
ाय से एकसर	दस्य	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
के सदस्यों						
			·			
	•					
	आमेलनः ऐसे प्रसाधन परिचर ' की हो और जो सीधी प्रादेशिक भाषा पढ़ने द किया जाएगा।          , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित करा जन्द्रीय संच्या ने किसा उत्तीर्ण वांछनीय : आठवी कक्षा उत्तीर्ण निम्नलिखित होंगे :	आमेलन:         ऐसे प्रसाधन परिचर 'क' जिन्होंने संबंधित         की हो और जो सीधी भर्ती के लिए विहित ग्रे         प्रादेशिक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम         किया जाएगा।         , जिसमें, निम्नलिखित होंगे : —         —अध्यक्ष         अधिकारी       —सदस्य         तय से एक       —सदस्य         तय से एक       —सदस्य         ते सदस्यों       3       4         साधारण केन्द्रीय       2550-55-         सेवा, समूह 'घ'       2610-60-         अराजपत्रित,       3200 रुपए         (गैर-औद्योगिक)       8         8       9         अनिवार्य :       लाग नहीं         गंचवी कक्षा उत्तीर्ण       वांछनीय :         आठवी कक्षा उत्तीर्ण       नसदस्य         नम्पलिखित होंगे : —       —अध्यक्ष         शिषकारी       —सदस्य         त्य से एक       —सदस्य	आमेलनः ऐसे प्रसाधन परिचर 'क' जिन्होंने संबंधित प्रयोगशाला या स्था की हो और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों या प्रायेशिक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हों, जिसे एक साध किया जाएगा।          14         14         14         , जिसे एक साध किया जाएगा।         14         14         , जिस भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हों, जिसे एक साध किया जाएगा।         14         , जाध्य के द्वी के सा दरस्य         अध्यक्ष         अध्यक्ष अभिकारीसदस्य         3 -4 5         साधारण केन्द्रीय 2550-55- लागू नहीं होता         संवा कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय :         श्वे कि 9         अनिवार्य : लागू नहीं होता         12         तांछ तोर्ण         वांछनीय :         अटवी कक्षा उत्तीर्ण         12         तांगू नहीं होता         पांचनी कक्षा उत्तीर्ण         12         तांगू नहीं होता         14         निम्नलिखित होंगे :         -अध्यक्ष लागू नही होता         पांचनी कक्षा उत्तीर्ग         -अध्यक्ष लागू	12         अमोतन्तः         एरेषे प्रसापन परिवर 'क' जिन्होंने संसंपित प्रयोगशाला या स्थापना में 5 वर्ष नियमित को हो और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एखते हों या अंग्रेजी या हिन्दी या प्रारंशिक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हों, जिसे एक साधारण परीक्षा द्वारा अवध किया जाएगा।         14         तिसमें, निम्नलिखित होंगे :		

THE GAZETTE OF INDIA: OCTOBER 15, 2005/ASVINA 23, 1927

[PART II-SEC. 4]

÷ , ,

1	2	3			~	->		<u> </u>	<b>ž</b> ,
. उद्यान	55*(2005)	साधारण केन		2550-55-	लागू नहीं	हाता	3	ानुज्ञेय नई	I
परिचर 'क'	*(कार्यभार के	सेवा, समूह		2660-60-					
	आधार पर	अराजपत्रित	,	3200 रुपए	•				
	परिवर्तन किया	(गैर-औद्यो	गिक)	•					
	जा सकता है।)								
<u>.</u>	<u></u>					<u></u>	. <u></u>		
7				8		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	9		• 10
<b>3 से 25 वर्ष</b>			अनिव	ार्य :	- , ,	ल	गू नहीं हो	ता	दो वर्ष
ज्दीय सरकार द्वार	समय-समय पर जा	री आदेशों के		चवी कक्षा उत्तीण					
ग्नमार अनसचित	जाति, अनुसूचित ज	াত্তাतি, अन्य	2. ৰা	गवानी में दो वर्ष	का अनुभव या				
गुसार जेंदुसूलस करने नगौं भतपर्व	सैनिकों, केन्द्रीय सरक	जर के सेवकों		गवानी की जानव		थ			· 1
199 पना, नूल रून गरिके जिन्न अभि	कतम आयु-सीमा शि	थेल की जा	क	षि संबंधी ग्रामीण	। पृष्ठभूमि	• • •			
भाष के लिए जाज नन्ती के आग-म	मा अवधारित करने के	लिए प्रत्येक	বার্তন						
किता है। जापु-त 	तारीख, यथास्थिति अंति	म्म ताग्रीख वह		ों कक्षा उत्तीर्ण					
॥मल म ।नणायक	गार कार्यालयों से नाम १	भेजने के लिए							
गि जिस तक राज	गार कार्यालया स नाम	नजन के लिग	•			• .			
हहा गया हा अथव	। आवेदन-पत्र प्राप्त व	त्रम् का लिए चर्ने सर्वज्ञे।			· .			•	,
वज्ञापन म जो आव	ाम तारीख अधिसूचित	ળા પર્ણા							
		<u></u>							14
11	12			13	0 20 0	<u> </u>			गू नहीं होता
रीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं प्	पुष्टि के लिए वि	ામાગીય ડ	ग्रेन्नति समिति,	जिसमें निम्नाल	खित् हाग	[ <b>:</b>	লা	น้าย ยนเ
•		. संबंधित स्थाप	ाना या प्रय	ोगशाला का प्रधा	ন	अध	यक्ष		
				· · · _	Anna an Garage and	सल	2121		
		2. संबाधत स्थाप	ાના વા પ્રય	गेगशाला के दो ण	यष्ठ आधकारा		रस्य		
•		3. किसी अन्य प्र	योगशाला	या स्थापना या म्	ख्यालय से एक		444		
•	•	3. किसी अन्य प्र	योगशाला	या स्थापना या म्	ख्यालय से एक		<u>र</u> त्त्व		
•		3. किसी अन्य प् अधिकारी, जे	ायोगशाला ो संबंधित	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स	ख्यालय से एक थापना के सदस्य		•		
		3. किसी अन्य प् अधिकारी, जे	ायोगशाला ो संबंधित	या स्थापना या म्	ख्यालय से एक थापना के सदस्य	ì	•	<u>.</u>	
		<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र</li> </ol>	ायोगशाला ो संबंधित	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् ज्पर की पंक्ति क	ख्यालय से एक थापना के सदस्य	ì	•	6	
1	2	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3	ायोगशाला ो संबंधित मा उनसे उ	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् ज्पर की पंक्ति क 4	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स	•		नहीं
12. सुरक्षा	2 340*(2005)	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र	ायोगशाला ो संबंधित गा उनसे उ केन्द्रीय	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स न्पर की पंक्ति क 4 2550-55-	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ì	•	6 अनुज्ञेय	नहीं
	2 340* ( 2005 ) *( कार्यभार के	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण सेवा, सम्	[योगशाला ो संबंधित पा उनसे उ केन्द्रीय हू 'घ'	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60-	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स	•		नहीं
12. सुरक्षा	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्गि	ायोगशाला ो संबंधित पा उनसे उ केन्द्रीय इ. 'घ' त्रेत,	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स न्पर की पंक्ति क 4 2550-55-	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स	•		नहीं
12. सुरक्षा	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण सेवा, सम्	ायोगशाला ो संबंधित पा उनसे उ केन्द्रीय इ. 'घ' त्रेत,	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60-	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स	•		नहीं
12. सुरक्षा	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्गि	ायोगशाला ो संबंधित पा उनसे उ केन्द्रीय इ. 'घ' त्रेत,	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60-	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स	•		नहीं
12. सुरक्षा	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्गि	त्योगशाला ो संबंधित वा उनसे उ केन्द्रीय इ 'घ' त्रत, द्योगिक)	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स न्पर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —स्य हीं होता	•		
12. सुरक्षा	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय इ. 'घ' त्रेत, द्योगिक)	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स न्पर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क'	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	3. किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण सेवा, सम् अराजपी (गैर-औ	त्योगशाला ो संबंधित वा उनसे उ केन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्योगिक)	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् न्पर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	ख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 हागू न	ों —-स हों होता 9	•		
12. सुरक्षा परिचर 'क' 	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण सेवा, सम् अराजपी (गैर-औ</li> <li>3 ररी</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित वा उनसे उ केन्द्रीय क्रुं 'घ' त्रेत, द्योगिक) जन्द्रीय सर	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् न्पर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 8	ख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 हागू न लागू न	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' 	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, ज के समतुल्य र के साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ</li> <li>रिरी</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय इ 'घ' त्रेत, द्योगिक) मनिवार्य : कन्द्रीय सर द्ररा मान्यत	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न लागू न	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' 	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) परा समय-समय पर ज ार अनुसूचित जाति,	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, ज के समतुल्य र के साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ</li> <li>रिरी</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय इ 'घ' त्रेत, द्योगिक) मनिवार्य : कन्द्रीय सर द्ररा मान्यत	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न लागू न	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' 	2 340*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण सेवा, सम् अराजपरि (गैर-औ</li> <li>उ ारी बे ह द री द री द र र र र र र र र र र र र र र</li></ol>	त्योगशाला ो संबंधित वा उनसे उ केन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कन्द्रीय सर तरा मान्यत वद्यालय प्र	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स कपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 14 माण पत्र (10 +	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तागू न 1 1 5 2 प्रणाली	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार दृ आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों,	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र उ साधारण सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ ती हे कों दे र र र र र र र र र र र र र र र र र र र</li></ol>	त्योगशाला ो संबंधित ना उनसे उ केन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्योगिक) जन्द्रीय सर द्वारा मान्यत वद्यालय प्र क अंतर्गत	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स कपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 11 प्राप्त माध्यमिव 11 पाप पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' 	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ग (गैर-औ</li> <li>उ</li> <li>गिर कौ</li> <li>ह को</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 	2 340*(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र ने साधारण सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ</li> <li>त</li> <li>त</li> <li>त</li> <li>त</li> <li>त</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स कपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 11 प्राप्त माध्यमिव 11 पाप पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार दृ आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शिथिल की जा स अवधारित करने	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है। जायु-सीमा कती है। आयु-सीमा क लिए प्रत्येक मामले	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी बे कों दे त</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार ह आदेशों के अनुस् अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शिथिल की जा स् अवधारित करने में निर्णायक तारी	2 340* (2005) *( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी बे कों दे त</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार दृ आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शिथिल की जा स अवधारित करने में निर्णायक तारी तारीख वह होगी	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी बे कों दे त</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार दृ आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शिथिल की जा स अवधारित करने में निर्णायक तारी तारीख वह होगी	2 340* (2005) *( कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) 	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी बे कों दे त</li> </ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उर्त्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार दृ आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शिथिल की जा स अवधारित करने में निर्णायक तारी तारीख वह होगी कार्यालयों से ना	2 340 * (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) उ र तर अनुसूचित जाति, ति, अन्य पिछड़े वर्गों, केन्द्रीय सरकार के सेव धिकतम आयु-सीमा कती है। आयु-सीमा कती है। आयु-सीमा क लिए प्रत्येक मामले ख, यथास्थिति.अंतिम जिस तक रोजगार न भेजने के लिए कहा	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी वे कों दे र र र र र र र र र र र र र र र र र र र</li></ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उत्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार ह आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शुधिल की जा स अवधारित करने में निर्णायक तारी तारीख वह होगी कार्यालयों से ना गया हो अथवा क	2 340 * (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है।) जा सकता है। जा सकता है। आयु–सीमा कि लिए प्रत्येक मामले ख, यथास्थिति अंतिम जिस तक रोजगार न भेजने के लिए कहा आवेदन–पत्र प्राप्त कर	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी वे कों दे र र र र र र र र र र र र र र र र र र र</li></ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उत्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10
12. सुरक्षा परिचर 'क' परिचर 'क' 7 18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार ह आदेशों के अनुस अनुसूचित जनज भूतपूर्व सैनिकों, आदि के लिए अ शुधिल की जा स अवधारित करने में निर्णायक तारी तारीख वह होगी कार्यालयों से ना गया हो अथवा क	2 340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) परा समय-समय पर ज ार अनुसूचित जाति, ति, अन्य पिछड़े वर्गों, केन्द्रीय सरकार के सेव धिकतम आयु-सीमा कती है। आयु-सीमा क लिए प्रत्येक मामले ख, यथास्थिति. अंतिम जिस तक रोजगार न भेजने के लिए कहा प्रावेदन-पत्र प्राप्त करन में जो अंतिम तारीख	<ol> <li>किसी अन्य प्र अधिकारी, जे के समतुल्य र 3 साधारण र सेवा, सम् अराजपर्ि (गैर-औ</li> <li>उ रारी वे कों दे र र र र र र र र र र र र र र र र र र र</li></ol>	त्योगशाला ो संबंधित या उनसे उ केन्द्रीय क्रेन्द्रीय हू 'घ' त्रेत, द्वोगिक) पनिवार्य : कर्द्रीय सर तरा मान्यत वेद्यालय प्र के अंतर्गत 2. शारीरि	या स्थापना या म् प्रयोगशाला या स् क्रपर की पंक्ति क 4 2550-55- 2660-60- 3200 रुपए 8 कार/राज्य सरका 11 प्राप्त माध्यमिव 1माण पत्र (10 + दसवीं कक्षा उत्त क स्वस्थता और	ुख्यालय से एक थापना के सदस्य । हो 5 5 लागू न तों हो 7 2 प्रणाली 19)	ों —-स हों होता 9	दस्य		10

[ भाग II — खण्ड 4 ]

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
<b>टिप्पण</b> : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को अपनी पुष्टि से पहले निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।	
13	14
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें, निम्नलिखित होंग	ा :
1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान	—अध्यक्ष
<ol> <li>संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी</li> </ol>	
<ol> <li>किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों</li> </ol>	
के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो।	

[फा. सं.-मासंपिनि/76257/आरआर/ग्रुप-प/सी/पी/01]

एस. के. देब, अवर सचिव

305

#### **MINISTRY OF DEFENCE**

### (Department of Defence Research and Development)

#### New Delhi, the 29th September, 2005

S.R.O. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'D' (Non-Industrial) posts Recruitment Rules, 1998 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' and 'D' (Non Industrial) posts in Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement :---(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and 'D' (Non-Industrial) post Recruitment Rules, 2005 ---

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, promotion, age limit and qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .---- No person,----

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Shceduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

[PART II-SEC. 4]

S 4 4

		-	SCH	EDULE		
ame of e post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non- selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Office Attendant 'D'	50* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted ' (Non- Industrial).	Rs. 2750 70-3800- 75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable
					•	-
ducational a equired for d	nd other qual irect recruits	ifications	Whether age prescribed for the case of pr	and educational direct recruits comotees	1	iod of probation, if any
8			9	······································		10
lot applicabl	e		Not applicabl	e	No	t applicable
3y promotion	1.		· ·	grade in the r Where junion are being con	dants 'B' with four year espective Laboratory or rs who have completed sidered for promotion, to provided they are not	Establishment their qualifying servion heir seniors shall also l
	ан 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	· ·		qualifying set or two year completed the higher grade	rvice by more than half o rs, whichever is less a heir probation period, for a along with their jun ich qualifying service.	f such qualifying servi and have successful or promotion to the ne
		•	•			
If a Departm composition		ion Committee	exists, what is its	Circ Con	cumstances in which nmission is to be consult	Union Public Servi ed in making recruitme
	13				14	
<ol> <li>Head of t or Labora</li> <li>Two senior or Labora</li> <li>An office</li> </ol>	he concerned atory or officers of atory r from anothe	a Committee for I Establishment the concerned er Laboratory of valent to or abor	– Establishment - r Establishment	sisting of -Chairman Member	Not applical	ble.

306

ţ

[ માગ Ⅱ— લગ્ડ	4]	भारत का	राणपत्र : अफ्	्बर 15, 2005/अ	।।रिवन 23, 1927	307
1	2	3	4	5	6	7
2. Cosmetic Attendant D'	14* (2005). *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non- Industrial).	Rs. 2750 70-3800- 75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable
			· · · ·	······		
8			9			10
Not applicabl	e		Not applic	able		Not applicable
		<u>.</u>				· .
11					12	
By promotion	•			Promotio Cosmetic grade in t	Attendants 'B' with f	our years regular service in the tory or Establishment.
•		, -		are being consider qualifyin or two complete higher g	considered for promo ed provided they ar g service by more than years, whichever is ed their probation per	bleted their qualifying service tion, their seniors shall also be e not short of the requisite half of such qualifying service less and have successfully iod, for promotion to the next ir juniors who have already vice.

	13		•	- -		- -	14	
epartmenta	Promotion C	Committee for P	romotion cons	sisting of :		Not ap	plicable.	
Head of the or Labora		Establishment		Chairm	an	1999 - 1999 1997 - 1997 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1	5 J 1	
Two senio or Labora		he concerned E	stablishment	-Meml	ber			
or Headq	uarters equivations of the con	r Laboratory or l ilent to or above cerned Laborat	e the rank of	—Membe	er		• .	
-		· .	•					• 
1	2	3	4	5		6		7
Garden Attendant D'	05* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2750 70-3800- 75-4400	Selection	Not ad	missible	а	Not pplicable
<u> </u>			1. A.			· ·		
8			9				10	
lot applicabl	e		Not applica	ble			Not appl	icable

[PART II-SEC. 4]

11			12
By promotion			Promotion :
y promotion			Garden Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment.
			Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.
			14
	13	•	
<b>Departmental</b>	Promotion Committee ne concerned Establis	ee for Promotion con hment	nsisting of : Not applicable. —Chairman

	or Laboratory	_	
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	Member	
	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of		
	the members of the concerned Laboratory or Establishment	Member	۱ ۱

	2	3	4	5	6	7
I Security Attendant 'D'	20* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2750- 70-3800- 75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable
					······································	10
. 8	·; ·			9		
	e		Not apr	plicable		Not applicable

11

By promotion.

#### **Promotion:**

Security Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment.

.

12

Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.

÷.,

13			14	•
Departmental Promotion Con	nmittee for Promotion co	nsisting of :	Not appli	cable.
<ol> <li>Head of the concerned Est or Laboratory</li> </ol>	tablishment	Chairm	an	а.
Two senior officers of the or Laboratory	concerned Establishmen	t —Memb	per	
<ul> <li>An officer from another L or Headquarters equivaled the members of the concernet Establishment.</li> </ul>	nt to or above the rank of		her	
1 2	3 4	5	6	7
Attendant *Subject to C 'B' variation S dependent G	keneral         Rs. 2610-           central         60-2910-           cervice,-         65-3300-           iroup 'D',         70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
load. , · (1	lon-Gazetted Non- ndustrial).			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
8	. 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10
Not applicable	Not appli	cable		Not applicable
11 •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12	
By promotion			ttendants 'A' with four y	ears regular service in the aboratory/Establishment.
		are being consider qualifyin or two y complete higher g	considered for promotio ed provided they are r g service by more than ha years, whichever is less ed their probation period	ed their qualifying service n, their seniors shall also be not short of the requisite of such qualifying service ss and have successfully for promotion to the nex uniors who have already e.
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· 13			. 1	4
Departmental Promotion Co	mmittee for Promotion c		Not app	licable.
<ol> <li>Head of the concerned E or Laboratory</li> </ol>		Chairn		
2. Two senior officers of the or Laboratory			ıber	
3. An officer from another I or Headquarters equivale	Laboratory or Establishm ent to or above the rank o	ent of		

or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.

-Member

309

. 1	2	3	4	5	6	7
Cosmetic Attendant B'	196* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2610- 60-2910- 65-3300- 70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
		· · ·				
8			9			10
Not applicable	e		Not applic	able	:	Not applicable
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>		
•			·		12	
. 11				Promot	ion :	
By promotion		•		Cormet	ic Attendants 'A' with ide rendered in the	n four years regular service in respective Laboratory o
	•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	are bein conside qualifyi or two comple higher	g considered for promo ered provided they a ing service by more that years, whichever is ted their probation pe	pleted their qualifying servic otion, their seniors shall also b re not short of the requisit n half of such qualifying servic less and have successfull riod, for promotion to the new eir juniors who have alread rvice.
						14
	13	Committee for			Not	14

2.	or Laboratory Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	Member	
3.	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of	· · ·	

the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member

	•					the second se
1	2	3	4	5	6	7.
7. Garden Attendant 'B'	91* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.		Rs 2610 60-2910- 65-3300- 70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
			9			10
8 Not applicabl	e		Not applic	able	]	Not applicable

भाग ।।—खण्ड 4 ]		भारत का रा	জনস: অপর্থিৎ	15, 2003/041144	1 20, 1727	
11					12	
promotion.				Promotion :		
Promotion.				grade rendered	d in the respective Lat	ars regular service in the poratory/Establishment.
				are being considered p qualifying ser- or two years completed the higher grade	sidered for promotion, rovided they are no vice by more than half s, whichever is less eir probation period.	I their qualifying service their seniors shall also be t short of the requisite of such qualifying service and have successfully for promotion to the next niors who have already
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	13			· · ·	14	
epartmental P	romotion Co	ommittee III fo	r Promotion c	onsisting of :	Not appl	icable.
		stablishment		Chairman		
or Laborato	ry	, ie concerned Es	stablishment	Member	· · · ·	
or Laborato	ry				•	
or Headqua	rters equiva	Laboratory or H lent to or above	e the rank of			
the membe Establishm	rs of the con- ent.	cerned Laborate		—Member	· ·	
						7
1	2	3	4	5	6	Not
	310* (2005)	General Central	Rs. 2610 60-2910-	Selection	Not admissible	applicable
'B'	*Subject to variation	Service,	65-3300-			
-	dependent	Group 'D', Non-Gazetted	70-4000		•	
	on work- Ioad.	(Non-				
		Industrial).				
			. 9			10
			9 Not applic	able		Not applicable
Not applicable	)			auto		
		1.1				
11		÷			12	
By promotion	•			<b>Promotion</b> Security A	ttendants 'A' with for	ur years regular service in
			· .	Where jur are being o considere	niors who have comp considered for promoted of provided they are	Laboratory/Establishme leted their qualifying serv- ion, their seniors shall als e not short of the requi- half of such qualifying serv-
· .				or two y complete higher g	ears, whichever is d their probation peri	od, for promotion to the r juniors who have alre

.•

-----

÷.,

2956 91705-5

÷ e

	13					14	
		Committee I for	Promotion co	nsisting of :		Not applicable.	<u></u>
epartmental Head of th or Laborat	e concerned	Establishment		Chairm	an	•	• •
Two senio	r officers of t	he concerned E	stablishment	—Memb	ber		
An officer or Headou	from another	r Laboratory or all	e the rank of			•	
the memb Establishr	ers of the con	cerned Laborat	ory or	Memt	er	<b>-</b>	•
						~	
1	2	. 3	4	. 5.	6	7	
Office Attendant 'A'	351* (2005) *Subject to variation dependent on work-	'General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted	Rs. 2550 55-2660- 60-3200	Not admissible	Not admissible	Backward Classes, Central Govern	ieduled Caste ibes, Othe Ex-serviceme nent Servant
	load.	(Non- Industrial).				etc. as per the or Government issue time the cruc	ed from time
						determination of in each case sh date upto which t	f the age lim all be the la
•		•	•			exchange is asker names or the last the advertisemen applications, as t	d to submit the date notified in t for receipt
					<u>.</u>	uppiroutono, do t	
8	•		9	<u> </u>	<u> </u>	10	······································
Essential :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not applica	ble		Two years for dir	ect recruits
Eighth Standa Desirable : Secondary Sc	ard Pass hool Certifica	ate					•
10th standar ystem recog	d pass under nized by Cent	10 + 2	· ·				
state Governi			· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- <u>-</u>	·	
	· • · · ·				1	2	<u> </u>
11				Absorpt		Δ	
By direct recr Seventy five By absorption twenty five p	percent. 1 failing whic	h by direct recr	uitment :	Cosmeti respecti qualifica to read a	c Attendants ' ve Laboratory ations prescrib and write Engl	A' with five years regu- y or Establishment an oed for direct recruitme ish or Hindi or a Region ned by a simple test.	d possessing ent or the abili
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• •		······································	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,
	·			1900		14	
	13	<u></u>	1997 - 1997 - 1999 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997				
. Head of	al Promotion the concerned	Committee for 1 Establishment	Confirmation		<b>consisting</b> of : irman	— Not appl	
Head of or Labor Two sen	al Promotion the concerned atory ior officers o	Committee for 1 Establishment f the concerned		/ <b>absorption</b> —Cha	irman	— Not appl	
<ol> <li>Head of or Labor</li> <li>Two sen or Labor</li> <li>An offic or Head</li> </ol>	al Promotion the concerned atory ior officers o atory er from anoth quarters equi	d Establishment	Establishment or Establishmen	/absorption —Cha	irman	— Not appl	

1	खण्ड 4   -	11 [.]	(त १४ तजनत्र :	अवतूबर 15, 2	2005/आहिवन 23,	. 1927 3
10. Cosme	2	3	4	5	6	.7
Attend: 'A'		et to Central Service, cut Group 'D'	etted	- applica	Not able applicab	18 to 75 years The second
	anna a an a sa taona cana a anna anna anna anna an					
8 sential :	Martin and a second second second second		(	9		10
<b>ssential :</b> Ifth Standa	wd Pass	ذ	Not appl	licable		10
esirable : -		•				Two years
ghth stanc	lard pass	*****				
	1	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	By direct rec					12
	an anna an ann an Anna an Anna an Anna		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Not applicable
or Labora Two seni or Labora An office or Headq	atory ior officers of atory # from anothe warters caniv	Committee for d Establishment The concerned I or Laboratory or alent to or abov	t Establishmen Establishmer	Chair utMen	man	Not applicable.
Establish	$\sim 0.01$ und con	ncerned Labora	tory or	•	- -	
				Mem	iber	· · · · · ·
1	2	3	4			
	55* (2005)	General	4 Rs. 2550-	5 Not	6	7
	*Subject to variation dependent on work- load.	Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non- Industrial).	55-2660- 60-3200	applicable	Not admissible	18 to 25 years, Upper age limit relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Central Government Servants, etc. as per the orders of Central Government issued from time to time. The crucial date for determina-
-		•	" "21*23	· .	<b>.</b>	tion of the age limit in each case shall be the last date up to which the employment exchange is

•

1.

an an ann a Mhainn ann an A 1

•

[PART II-SEC. 4]

8			9		10
sential :		Not applicable		e	Two years
Fifth Standar					
Two years, ex	perience in ho	rticulture			
or rural agricu knowledge of	iltural backgro	ound with			
esirable :					
ghth Standard	l pass				*
11	[_]			12	·
y direct recruit	tment `			Not ap	pplicable
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					14
	13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*****	· · ·	14
epartmental	Promotion Co	ommittee for co	nfirmation co	nsisting of :	Not applicable.
Head of th	e concerned E	Establishment		Chairman	
or Laborat	ory			Member	
or Laborat	toy	he concerned Es	•		
Anofficer	from another	Laboratory or l	Establishment	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
or Headou	iarters equiva	lent to or above cerned Laborat	e me rank or		
the memb establishn	nent.	JUINU LAUUIDI		-Member	
			<u></u>		
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A	5 6	7
1	2	3	4		
12. Secutity	340* (2005)	General	Rs. 2550-	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedul
12. Secutity Attendant		General Central Service,		Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth
12. Secutity	340* (2005) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'D',	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-servicement Central Government Servar
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work-	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-servicem Central Government Servar etc. as per the orders of Central
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-service Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-servicem Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determine
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work-	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lim relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determine tion of the age limit in each car shall be the last date upto wh
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lim relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determine tion of the age limit in each car shall be the last date upto wh the employment exchange
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lim relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determi- tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determin tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determit tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determin tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determi- tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.
12. Secutity Attendant	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lim relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determi tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.
12. Secutity Attendant 'A'	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determi- tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.
12. Secutity Attendant 'A' <u>8</u> Essential: 1 Secondar	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lim relaxable for Schedule Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-serviceme Central Government Servar etc. as per the orders of Centra Government issued from time time. The crucial date for determi tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.
12. Secutity Attendant 'A' 8 Essential : 1. Secondar (Tenth Sta	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedul Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-servicem Central Government Servar etc. as per the orders of Centr Government issued from time time. The crucial date for determ tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.
12. Secutity Attendant 'A' 8 Essential : 1. Secondar (Tenth Star recognize	340* (2005) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non- Industrial).	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200	Not Not applicable admissible	18 to 25 years. Upper age lin relaxable for Schedul Castes, Scheduled Tribes, Oth Backward Classes, Ex-servicem Central Government Servar etc. as per the orders of Centr Government issued from time time. The crucial date for determ tion of the age limit in each ca shall be the last date upto wh the employment exchange asked to submit the names or last date notified in the advert ment for receipt of application as the case may be.

÷

 \mathbb{P}_{0}

.

[•	गग II-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 15, :	भारत का राजपत्र : अक्तूबर 15, 2005/आश्विन 23, 1927					
	11	<u> </u>	12	<u> </u>			
No	direct recruitment : ote : The direct recruits will have to complete the prescribed ining course sucessfully, before their confirmation.	<u>.</u>	Not applicable				
	13	•	14				
De	partmental Promotion Committee for confirmation consisti	ng of :	Not applicable.				
1.	Head of the concerned Establishment	Chairman					
2.	Two senior officers of the concerned Establishment – or Laboratory	-Member					
3.	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.	-Member					
	······	•	[F. No. DHRD/76257/RR/Gm S. K. DEB	up-D/C/P/01] Under Secv.			

2956 95705-6

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.